न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट / तृतीय अपर सिविल जज (जू०डि०) बांदा।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 841/2022
वाद सं० 439 -नौ- 2022
कुलदीप बनाम राकेश कुमार।

धारा 138 एन.आई. एक्ट
थाना कोतवाली देहात, जिला बांदा।

आदेश

अभियुक्त / प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र रज्जू, निवासी ग्राम अमारा थाना जसुपरा, जिला बांदा उ0प्र0 की ओर से वाद सं० 439 -नौ- 2022, धारा 138 एन.आई.एक्ट थाना कोतवाली देहात, जिला बांदा में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है।

अभियुक्त / प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी को उक्त वाद के वादी मुकदमा द्वारा झूंठा एवं साजिसन फंसाया गया है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई चेक वादी मुकदमा को नही दिया है। प्रार्थी के साथ वादी मुकदमा रहता रहा है और प्रार्थी को धोखा देकर चोरी से उसकी चेक बुक दस्तखती बक्से से निकालकर चोरी से ले गया है व साथ में गाड़ी के पेपर भी ले गया था जिसकी प्रार्थी ने वादी मुकदमा की शिकायत की थी। वादी मुकदमा द्वारा फर्जी तरीके से रकम दिखाकर प्रार्थी के खिलाफ माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने किसी प्रकार की कोई चेक वादी मुकदमा को नही दिया है। प्रार्थी न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अत: जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त जमानत पाने के योग्य है। अत: अभियुक्त राकेश द्वारा द्वारा मु०-20,000/- (बीस हजार रुपये) की दो-दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 10.10.2022

(मनीषा साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट / तृतीय अपर
सिविल जज (जू0 डि0) बांदा